पत्र अहकाम

यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

रख्या :– 123/2024

कमला मीना **बनाम** सरकार

ांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता सुरेश कुमार शर्मा हाजिर। अप्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जवाब प्राप्त हो चुका है। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 18.09.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	
.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जो संलग्न है। बहस प्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राज. भू–राजस्व अधिनियम बाबत् का पेश किया है। प्रार्थी विवादित भूमि के 115, 116 वाके ग्राम नन्दगांव बासडी तहसील चाकसू मे प्रार्थी रिकोर्डेड काविज काश्तकार होना बताया है। खसरा नंबर 211 की जगह खसरा नंबर 115 का इन्द्राज तथा खसरा नंबर 115 की जगह खसरा नंबर 211 का इन्द्राज राजस्व नक्शे में होना बताया गया है। अप्रार्थी सरकार ने जवाब में बताया है कि खसरा नंबर 115, 116 रकबा 0.64 है0 के लगवा खसरा नंबर 211 रकबा 0.19 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता है, जो राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में मौके पर खसरा नंबर 115 रकबा 0.32 है0 मे से 0.09 है0 एवं खसरा नंबर 116 रकबा 0.32 है0 मे से 0.074 है0 में से डामर सडक बनी हुई है। जो चालू है। खसरा नंबर 211 के उत्तरी भाग के खसरा नंबर 115, 116 पर डामर सडक बनी हुई है, उक्त मौके अनुसार नक्शा में अप्रार्थी का रकबा बिना बदले तरमीम की किया जाना उचित है। अतः जवाब सरकार एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है एवं मौके अनुसार नक्शा दुरूस्त जावें एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	